न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 132/2023

अनवान : –

1. पुनम देवी पुत्री बनवारी पत्नी साहबराम जाति नायक साकिन कुमथल तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– सायला

बनाम्

1. बनवारी पुत्र चन्दा उर्फ चन्दुराम जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनलाल पुत्र बनवारी जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिबी हाल आबाद वार्ड न0 1 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. नन्दराम पुत्र बनवारी जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 12/2/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 149/149 की 6.3230 हैक्ट भूमि में से 9/35 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

गैरसायल स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के वाद भूमि दर्ज हो गयी जबकि वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के दादा के नाम थी। गैरसायल संख्या 1 को अपने पिता के फौत होने पर उक्त वाद भूमि विरासतन प्राप्त हुयी है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण सायला व गैरसायल संख्या 2 ता 3 का गैरसायल संख्या 1 के साथ जन्मजात बहिब हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि सायला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण सायला के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए सायला विवादित भूमि जो अपने पिता के नाम दर्ज हिस्सा है में से 1/4 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल स0 1 की मानसिक स्थिति सही नही है वह गैरसायल संख्या 2 ता 3 के असर में है। उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल करने की सरेआम धमकी देता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ती बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नही है इसलिए सायला गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायलान पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें की वादग्रस्त भूमि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 149/149 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 9/35 हिस्सा भूमि को रहन, बैय व मुंतकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 149/149 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण1 इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद ग्रस्त भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि है वह अकेला खातेदार है उसके जीवनकाल में सायला किसी कदर हक व हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी नही है। सायला क्लीन हैण्ड अदालत में नही आयी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अतः खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामलाः–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में सायलान को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा सायला को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अ[illegible] है [illegible] विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में [illegible] 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में वि[illegible] भूमि को पैतृक, मौरूसी दादालाई , एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना प्रतीत होता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र सालया के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा गैरसायलान इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलनः**— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायला को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया सायला के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि प्रथम दृष्टया दादालाई प्रतीत होती है यदि गैरसायल भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर देता है तो सायला को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सालया के पक्ष में और अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**— उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों सालया के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि सायला का विवादित भूमि में अपने हको की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि प्रकरण में सालया को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से सायला को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि सायला के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायला अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:55 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर